न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—57/18 (2018/00110) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लच्छु पिता नन्दा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मांगी बेवा नन्दा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मूलचन्द पिता लेहरू तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नाराण पिता रोडा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नारायण पिता गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—प्रकाश पिता गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—ग्राम सेवा सहकारी समिति गलवा जरिये व्यवस्थापक तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2—हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 23.01.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टोकरा तहसील रायपुर में प्रार्थीगणो की कृषि भूमिया सामलाती रूप से टोकरा में स्थित है। जिसकी आराजी सख्या 941 रकबा 2.35 है0 अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 162 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण उस पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड मै प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात के पास ही उनकी नवीन आराजी संख्या 938 रकबा 1.73 है0 भुमि स्थित है जो प्रार्थीगण की आराजियात से लगती हुई है। प्रार्थीगण सदैव से अपनी आराजियात मैं आवागमन पैदल, संज, बैल, ट्रेक्टर आदि विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी सख्या 938 रकबा 1.73 है. की दक्षिणी पाली के सहारे सहारे होकर सदैव आवागमन करते चले आ रहै है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 941 में आवागमन, पैदल, संज, बैल, टेक्टर आदि से विपक्षी की आराजी संख्या 938 की दक्षिणी पाली से होकर करते रहे है। उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध उतपन्न नही किया लेकिन विगत वर्ष से विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को बन्द करने की नियत से अपनी आराजी संख्या 938 की पश्चिमी पाली के आगे जे.सी.बी. से खाई खुदवा दी तथा उनका रास्ता बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात आने जाने से वंछित हो गये। प्रार्थीगण सदैव अपनी आराजियात मैं आवागमन विपक्षी की आराजियात मे करते चले आ रहे थे। लेकिन विपक्षी ने अपनी आराजी सख्या 938 के पश्चिमी छोर पर खाई खोदकर आवागमन में बाधा उत्पन्न कर दी है तथा रास्ते की भूमि में बाधा डालकर रास्ता अवरूद्व कर दिया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सेख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 938

रकबा 1.73 है भूमि की दक्षिण पाली पर रास्ता राजस्व रेकार्ड में 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावें नियमानुसार डीएलसी की राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 06.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 बावजुद की ओर से अधिवक्ता हरिश टेलर उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण की आराजी संख्या 938 की दक्षिणी पाली के सहारे सहारे आवागमन करते चले आ रहे का अंकन किया जो गलत है विपक्षी की आराजी प्रार्थीगण का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण आराजी संख्या 941 में जाने हेतु रास्ता बन्द करना जो लिखा गया है जो गलत है विपक्षी के द्वारा आराजी 938 की पश्चिती छोर पर कोई खाई नही खोदी है प्रार्थीगण उनके आराजी नम्बर 941 में आवागमन ग्राम टोकरा से उलपुरा जाने वाले सरकारी रास्ते की आराजी 952 से होकर फिर इस रास्ते के पश्चित में स्थित ग्राम टोंकरा की आराजी नम्बर 951 की उत्तरी पाली पर होकर इन्ही प्रार्थीगण व उनके भाईयो की सहखातेदारी आराजी संख्या 935 व 936 की उत्तरी पाली पर होते हुए फिर आराजी 936 की पश्चिम पाली पर होकर प्रार्थीगण आवागमन करते चले आ रहे है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 941, 935 व 936 सभी सटमा व लगती हुई सिथत है किन्तु द्वैषता वश यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है आराजी संख्या 952 बिलानाम रास्ते से होकर फिर ओमसिंह आत्मज गणपत सिंह चुण्डावत निवासी झड़ोल की आराजी संख्या 951 की उत्तरी पाली पर जंहा से रास्ता छोड़ रखा है वहां से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी 935 व 936 की मेड़ के सहारे होकर अपनी आराजी नम्बर 941 में जाना चाहिये तथा आराजी 951 के खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिये जो नही किया तथा प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

प्ररण तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी को आराजी नम्बर 941 में आवागमन का वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नही है मौके पर उक्त आराजी नम्बर 941 में आराजी नम्बर 938 की दक्षिणी मेड़ के सहारे होकर नक्षे में लाल स्याही से अंकन अनुसार आवागमन किया जा रहा था जो रास्ता वर्तमान में बन्द कर दिया गया है साथ ही यह भी अंकन किया कि प्रार्थीगण उक्त आराजी नम्बर 941 में लाल स्याही से आराजी नम्बर 938 में दर्ज रास्ते के अलावा बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता आराजी नम्बर 952 में होकर फिर खातेदारी आराजी नम्बर 951 में होकर प्रार्थीगण स्वयं सामलाती आराजी नम्बर 935 व 936 मे से आवागमन कर सकते है जो वैकल्पिक रास्ते को नक्षे हरी स्याही से दर्शाया गया है आराजी नम्बर 938 मे प्रस्तावित रास्ते का रकबा 132 गुणा 4 = 528 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में बनती है प्रार्थीगण जो रास्ता चाहते है उसे सलंग्न नक्षे में लाल स्याही से दर्शाया गया है एवं वैकल्पिक रास्ते को हरे रंग की स्याही से दर्शाया गया है जो आराजी नम्बर 951, 935 ओर 936 के सहारे सहारे निकल सकता है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन दोनो अधिवक्ताओं को कराया गया ओर बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरोते हुए आराजी नम्बर 938 की दक्षिणी मेड़ के सहारे प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है वहां रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया गया इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 938 की मेड़ के सहारे जो रास्ता चाह जा रहा है वो दुर है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 952 बिलानाम रास्ते से लगती हुई आराजी नम्बर 951 में होकर अपनी

संयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 935 और 936 की मेड़ पर होता हुआ आराजी नम्बर 941 पर पंहुॅच सकता हैं जो रास्ते हेतु प्रार्थीगण को कम भूमि लेनी पड़ेगी और खसरा नम्बर 938 में जो चाह जा रहा है वो रकबा ज्यादा है ऐसी स्थिति में न्यनतम दुरी के रास्ते की भूमि रास्ते हेतु दी जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता आराजी नम्बर 938 की दक्षिणी मेड़ के सहारे चाहा जा रहा है वो सरकारी रास्ते से 132 मीटर की दुरी तय करने के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आती है इसके विपरीत दुसरी और खसरा नम्बर 952 के बिलानाम रास्ते से प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि आराजी नम्बर 935 लगभग 30 से 35 मीटर की दुरी पर स्थित है जंहा से प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी भूमि होता हुआ अपनी आराजी संख्या 941 में आवागमन कर सकता है। और नियमो के परिपेक्ष्य में भी न्यूनतम दुरी का रास्ता प्रार्थीगण के चाहने पर दिया जा सकता है किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नम्बर 951 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया ओर न ही इस आराजी में रास्ता चाह गया बल्कि आराजी नम्बर 938 के खातेदार को पक्षकार बना रास्ता चाह गया है प्रार्थी का कथन यह भी रहा कि हम आराजी नम्बर 938 की दक्षिणी मेड़ के सहारे भी आवागमन करते आ रहे थे अगर प्रार्थीगण ओर विपक्षीगण सहमत हो तो आवागमन बदस्तुर कायम रखा जा सकता हैं अगर सहमति नही बनने पर नियमानुसार 251ए के तहत् अगर रास्ता लिया जाता है तो सरकारी रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि न्यूनतम दुरी पर हो उस जगह से रास्ता दिया जा सकता है। आराजी नम्बर 935 एवं 936 प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है अगर अन्य सहखातेदार इस बाबत् ऐतराज करते है तो प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवरण से में इस निष्कर्ष पर पहुॅचा प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाह गया है वो अधिक दुरी का रास्ता चाह गया है जबकि प्रार्थीगण कम दुरी तय करते हुए अपनी सहखातेदारी भूमि में होकर आवागमन कर सकता है। आराजी नम्बर 951 के खातेदार को पक्षकार भी नही बनाया गया ओर न ही प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाह गया है ऐसी स्थित में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम टोंकरा की आराजी नम्बर 938 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे चाहे गये रास्ते की दुरी से कम दुरी से अपनी आराजियात में पंहुॅच सकता है जो प्रार्थीगण द्वारा नही चाह गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.1.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.28 18:10:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: